



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220123
CG-DL-E-24062020-220123

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1783]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/आषाढ़ 2, 1942

No. 1783]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASHADHA 2, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

का.आ. 2008(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH 709 A के कि.मी. 32.63 कि.मी. से 52.17 कि.मी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 709 A तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	जिला राजस्व अधिकारी हिसार	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 709 A के कि.मी. 32.63 से 52.17 तक	हरियाणा	हिसार	हांसी	1 बाण्डोहड़ी (56)
---	---------------------------	--	---------	-------	-------	-------------------

[फा.सं. NHAI/PIU-Rohtak/Bhiwani-Mundhal-Jind/LAND/20-21]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2020

S.O. 2008(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 32.63 to Km. 52.17 of the NH 709 A for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of HARYANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 709 A in the State of HARYANA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer Hisar	32.63KM To 52.17KM	HARYANA	HISAR	हांसी	1 Bandoheri (56)

[F.No. NHAI/PIU-Rohtak/Bhiwani-Mundhal-Jind/LAND/20-21]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.